## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 : 189 सन 2014

अनवान :—

1. कमल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति कन्दोई निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

**वादी**

**बनाम**

1. अमेदा पत्नि नेक महोम्मद जाति मुसलमान निवासी चक मेघसिहपुरा तहसील नोहर
2. जाकिर 3 बरकतुला 4 इकबाल 5 उसमान 6 शमशेर 7 सिकन्दर पि0 नेक महोम्मद जाति मुसलमान निवासी चक मेघसिहपुरा तहसील नोहर
8. गुडी 9 जरीना 10 रजीया 11 हाफीजा 12 जुलेखां पि0 नेक महोम्मद जाति मुलसमान निवासी चक मेघसिहपुरा
13. ज्यानू खां 14 यूसफ पि0 सदूखां जाति मुसलमान निवासी चक मेघसिहपुरा तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :— श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादीयान**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांक: 16/08/2024

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मेघसिहपुरा के खाता संख्या 7/7 के खसरा न0 270/1 की 0.6300.हैक 270/4 की 3.2890हैक ख0न0 273/1 की 3.1630हेक, ख0न0 273/4 की 2.2770हैक कुल चार खसरों की 9.3590हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 सहखातेदार काश्तकार है उपरोक्त भूमि में वादी 5. 109हैक्टयर भूमि खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स0 1 ता 12 का 1.872हैक्टयर के बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स0 13 का 0.506हैक्टयर , प्रतिवादी स0 14 का 1. 877हेक्टैयर के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि का खाता मुश्तरका है जिसके कारण सीव डोल का व काश्त को लेकर हमेशा तनाजात रहा है उक्त भूमि का खाता मुश्तरका रहने से लगान व कब्जा काश्त का तनाजा रहता है इसलिये वादी वाद भूमि का खाता व लगान प्रतिवादी स0 1 ता 14 से अलग – अलग करवाने का अधिकारी है इसी आश्य की वादी घोषणा करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादी स0 1 ता 14 को कई मर्तबा खाता व लगान अलग करवाने हेतु कहा कुछ दिन तो आज कल आज कल करते रहे आखिर में इन्कार हो गये इसलिये वाद प्रस्तुत किया गाय है वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा मेघसिहपुरा के खाता स0 7/7 के खसरा न0 270/ की 0.6300हैक्टयर, ख0न0 273/4 की 2.2770हेक्टयर, ख0न0 273/1 की 3. 1630हेक्टयर खसरा न0 273/4 की 2.2770हैक्टयर चारो खसरों की कुल 9.3590हैक्टयर भूमि जिसमें वादी का 5.109हैक्टयर का खातेदार है का खाता व लगान प्रतिवादीगण स0 1 ता 14 से अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज फरमाया जावे। वाद के समर्थन में जमाबन्दी रोही मौजा मेघसिहपुरा प्रस्तुत की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:24:30 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी स0 1 ता 14 को विधिवत सम्मन की तामिल होने के उपरान्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भी न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एकपक्षिय कार्यवाहीवाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 7/7 के खसरा न0 270/1 की 0.6300,हैक 270/4 की 3.2890हैक ख0न0 273/1 की 3.1630हेक, ख0न0 273/4 की 2.2770हैक कुल चार खसरों की 9. 3590हैक्टयर भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 कमल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर ख0न0 270/1 रकबा 0.630 हैक्ट, 273/1 रकबा 3.163 हैक्ट, 270/4/1 रकबा 0.405 हैक्ट, 273/4/1 रकबा 0.9110 हैक्ट, कुल किता 4 रकबा 5.1090 हैक्ट बारानी प्रथम

2 इकबाल 156/4250 हि0, उसमान 156/4250, जाकिर 156/4250, बरकतुला 156/4250 हि0, शमशेर 156/4250 हि0, सिकन्दर 156/4250 हि0 पि0 नेकमोहम्मद जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार राहिन इकबाल हिस्सा एसबीआई शाखा नोहर, गुडडी 156/4250 हि0, जरीना 156/4250, जुलेखं 156/4250 हि0, रजिया 156/4250 हि0, हफीजा 156/4250 हि0, हमीदा पत्नी नेकमोहम्मद 662/4250 हि0 (हमीदा 506/4250 हि0 राहिन एसबीआई शाखा नोहर), युसफ पुत्र सदु खां (फौत) 1872/4250 हि0 रहन एसबीआई शाखा नोहर ख0न0 270/4/2 रकबा 2.884 हैक्ट, 273/4/2 रकबा 1.366 हैक्ट कुल किता 2 रकबा 4.25 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 16/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:24:30 IST
Reason: SelfAttested

# अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 : 189 सन 2014

अनवान :–

1. कमल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति कन्दोई निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादी

बनाम

1. अमेदा पत्नि नेक महोम्मद जाति मुसलमान निवासी चक मेधसिहपुरा तहसील नोहर
2. जाकिर 3 बरकतुला 4 इकबाल 5 उसमान 6 शमशेर 7 सिकन्दर पि0 नेक महोम्मद जाति मुसलमान निवासी चक मेधसिहपुरा तहसील नोहर
8. गुडी 9 जरीना 10 रजीया 11 हाफीजा 12 जुलेखां पि0 नेक महोम्मद जाति मुलसमान निवासी चक मेधसिहपुरा
13. ज्यानू खां 14 यूसफ पि0 सदूखां जाति मुसलमान निवासी चक मेधसिहपुरा तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 189 सन 2014 निर्णय दिनांक– 16/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मेधसिहपुरा के खाता संख्या 7/7 के खसरा न0 270/1 की 0.6300,हैक 270/4 की 3.2890हैक ख0न0 273/1 की 3.1630हैक, ख0न0 273/4 की 2.2770हैक कुल चार खसरों की 9.3590हैक्टयर भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 कमल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति अग्रवाल सा0 नोहर खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर ख0न0 270/1 रकबा 0.630 हैक्ट, 273/1 रकबा 3.163 हैक्ट, 270/4/1 रकबा 0.405 हैक्ट, 273/4/1 रकबा 0.9110 हैक्ट, कुल किता 4 रकबा 5.1090 हैक्ट बारानी प्रथम

2 इकबाल 156/4250 हि0, उसमान 156/4250, जाकिर 156/4250, बरकतुला 156/4250 हि0, शमशेर 156/4250 हि0, सिकन्दर 156/4250 हि0 पि0 नेकमोहम्मद जाति मुसलमान सा0 देह खातेदार राहिन इकबाल हिस्सा एसबीआई शाखा नोहर, गुडडी 156/4250 हि0, जरीना 156/4250, जुलेखं 156/4250 हि0, रजिया 156/4250 हि0, हफीजा 156/4250 हि0, हमीदा पत्नी नेकमोहम्मद 662/4250 हि0 (हमीदा 506/4250 हि0 राहिन एसबीआई शाखा नोहर), युसफ पुत्र सदु खां (फौत) 1872/4250 हि0 रहन एसबीआई शाखा नोहर ख0न0 270/4/2 रकबा 2.884 हैक्ट, 273/4/2 रकबा 1.366 हैक्ट कुल किता 2 रकबा 4.25 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 16/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:24:30 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर